न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 16/2020

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		प्रेमाराम पुत्र खींयाराम जाति लखारा निवासी मु. पो. पांचोडी, तहसील खींवसर जिला नागौर। फर्म–मै. लखारा डिपार्टमेंटल स्टोर, मैन बस स्टेण्ड, पांचोडी, तहसील खींवसर जिला नागौर।

आदेश दिनांक : 17.12.2020

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी को दिनांक 19.02.2020 को मैसर्स लखारा डिपार्टमेंटल स्टोर, मैन बस स्टेण्ड, पांचोडी, तहसील खींवसर जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ लालमिर्च पाउडर में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1252 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस 84/एक्ट/2020/43 दिनांक 03.03.20 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया खाद्य पदार्थ लालमिर्च पाउडर का नमूना Sub-Standard होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त प्रेमाराम पुत्र खींयाराम जाति लखारा निवासी मु.पो. पांचोडी तहसील खींवसर जिला नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थी को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 10-06-2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने अपना जवाब दिनांक 17.12.2020 को पेश किया। अप्रार्थी ने अपने जवाब मे बताया कि मेरी दुकान से मिर्च का सैंपल लिया गया था। उसमे किसी प्रकार का हानिकारक तत्व नही पाया गया था और भविष्य मे ऐसा कार्य पुनः नही करूंगा। अतः कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण ड्रोप करने का निवेदन किया है।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा अप्रार्थी को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 84/एक्ट/2020/43 दिनांक 03.03.20 के अनुसार खाद्य पदार्थ लालमिर्च पाउडर का नमूना Sub-Standard पाया गया है। अतः अप्रार्थी को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी प्रेमाराम पुत्र खींयाराम जाति लखारा निवासी मु.पो. पांचोडी तहसील खींवसर जिला नागौर पर रू. 20,000/– अक्षरे रूपये बीस हजार शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)